कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जशपुर जिला जशपुर (छ.ग.)

(Email- jashpur.cgfood@gmail.com,fojashpur.cg@nic.in Ph-07763-220317)

—: विज्ञापन :—

जशपुर, दिनांक–18/07/2023

क्रमांक–501/खाद्य/स्था./2023

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 13–1/2023/आ.प्र./1–3 नवा रायपुर, दिनांक 03.05.2023 एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.संचालनालय अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक.3446/स्था.–संचा/811/2023 नवा रायपुर, दिनांक–19.06.2023 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यालय कलेक्टर, खाद्य शाखा, जिला जशपुर में तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड–3, चतुर्थ श्रेणी चौकीदार एवं भृत्य के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा किये जाने हेतु विज्ञापन जारी किया जाना है।

छ.ग.शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के पत्र क्र.एफ 1–5/खाद्य/2020/29–1(पार्ट–3) नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक–08.06.2023 द्वारा खाद्य विभाग अंतर्गत स्टेनो टायपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर (नियमित/संविदा) सहायक वर्ग–03, वाहन चालक, भृत्य एवं चौकीदार के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति प्राप्त हुई है। जिसके आधार पर कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला जशपुर के रिक्त 01 पद सहायक ग्रेड–03 व 01 पद चौकीदार तथा 02 पद भृत्य के भर्ती किया जाना है।

उपरोक्तानुसार आज दिनांक तक सीधी भर्ती किये जाने हेतु समस्त पदों की आरक्षण रोस्टर निम्नानुसार तैयार किया गया है:–

रिक्त पदों का विवरण :–

क्रमांक	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	अ.ज.जा.			अ.जा.			अ.पि.व.			अनारक्षित			विशेष पिछड़ी जनजाति	दिव्यांग हेतु आरक्षित
			मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक		
1	सहायक ग्रे.03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2	भृत्य	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3	चौकीदार	1	0	0	0		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय हैं। पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।)

पदों का वेतनमान :–

सहायक ग्रेड–03

(वेतनमान रू. 5200–20200+1900 ग्रेड–पे, वेतन मेट्रिक्स लेवल–04)

भृत्य/चौकीदार

(वेतनमान रू. 4750–7440+1300 ग्रेड पे, वेतन मैट्रिक्स लेवल–01)

शैक्षणिक योग्यता/अर्हताएं :–

(अ) सहायक ग्रेड–03 पद हेतु योग्यता :–

01. मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।

अथवा

पुरानी हायर सकेण्डरी परीक्षा के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण

02. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा,
03. कम्प्यूटर में हिन्दी टाईपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति होना चाहिए। (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जावेगी।)

0/c

(ब) **चतुर्थ श्रेणी (भृत्य/चौकीदार) हेतु योग्यता :–**

किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से कम से कम 5 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

- उपरोक्त नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP (C) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

नियम व शर्तेः–

(एक) आयु–

(क) अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा सर्कल के अध्याधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिल होगी।

(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी शासकीय सेवक है 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) ऐसे अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहे हों, जिसमें कार्यभारित कर्मचारी, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी, और परियोजना कार्यान्वयन समिति में नियोजित व्यक्ति भी सम्मिलित है, जो किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहे हैं, उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(तीन) किसी भी मामले में, उपरोक्तानुसार उल्लेखित वर्गों में से किसी भी एक या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरान्त भी, शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिये अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अथवा

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, जिला–रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/1–3 अटल नगर रायपुर दिनांक 30.01.2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान किये जाने के संबंध में जारी निर्देश के बिन्दु क्रमांक 02 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2023 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिये अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर के परिपत्र क्रमांक 375/260/वि/नि./चार/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06.08.2020 द्वारा जारी निर्देशानुसार सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा।
- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- नियुक्ति पश्चात् पुलिस विभाग से अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन कराया जाएगा, प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर सेवा से तत्काल पृथक किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी।
- पात्र–अपात्र की सूची, मेरिट सूची, आवश्यक सूचनाओं का प्रकाशन तथा चयन परीक्षा के संबंध में जानकारी जिले के वेबसाईट में प्रदर्शित किया जायेगा, इसके लिये पृथक से कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।
- समस्त आवश्यक दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा उक्त संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि में जारी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऐसे आवेदन के निरस्तीकरण के संबंध में पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। अतः आवेदन भरने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन के सभी कॉलम भरे हों।

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 13–14/2009/आ.प्र./1–3 रायपुर दिनांक 04.12.2012 एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 29 नवम्बर 2012 द्वारा जारी अधिसूचना–छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन नियम 2012 के बिन्दु क्रमांक 19 में जशपुर जिले हेतु जारी आरक्षण रोस्टर का पालन कर विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है।

विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होंगी:–

1. अभ्यर्थी द्वारा जिले की वेबसाईट https://jashpur.nic.in में ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 27.07.2023 तक फॉर्म भरा जाएगा। कार्यालय में सीधे अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. आवेदक की आयु 01.01.2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी।
3. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की मूलप्रति अपलोड करना होगा।
4. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र की मूलप्रति अपलोड करना होगा।
5. अभ्यर्थी को रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा वर्तमान नियोक्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
6. अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान में पासपोर्ट साईज फोटो, हस्ताक्षर व अन्य दस्तावेज अपलोड करना होगा।
7. दावा–आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समयावधि में अपना ऑनलाईन सुधार किया जाना होगा, इसके पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा। दावा–आपत्ति एवं मेरिट सूची के संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किया जायेगा।
8. चतुर्थ वर्ग के पद हेतु लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा एवं सहायक ग्रेड–03 पद हेतु कौशल परीक्षा आयोजित की जावेगी।
9. ऑनलाईन आवेदन की त्रुटि सुधार हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात् 03 दिवस का समय दिया जाएगा। इस अवधि में नये आवेदन का पंजीयन नहीं हो सकेगा। सफलतापूर्वक भरे गये आवेदन का प्रिंट आउट अपने पास रखना अनिवार्य होगा।
10. विज्ञापन में तथ्यात्मक त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है, ऐसे त्रुटि में चयन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी, इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
11. मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त होने पर जन्मतिथि को आधार मानकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रावीण्यता में प्राथमिकता दिया जाएगा। समान अंक एवं समान जन्मतिथि होने की स्थिति में अभ्यर्थी के नाम अंग्रजी वर्णमाला के (Alphabet) आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा।
12. चयन उपरान्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन दस्तावेज का मूल दस्तावेज से मिलान किया जाएगा, यदि कोई जानकारी अथवा दस्तावेज गलत/असत्य पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी। जांच के दौरान दस्तावेज में यदि कोई छेड़–छाड़ अथवा फर्जी पाया जाता है तो उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
13. निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का 50 प्रतिशत अंक एवं चयन परीक्षा के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत अंकों को मिलाकर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा।
14. कौशल परीक्षा/अर्हकारी परीक्षा में मेरिट सूची से प्रवीण्यता क्रम के आधार पर 01 से 10 पद के विरूद्ध 20 गुना अभ्यर्थी एवं 20 से अधिक पदों हेतु 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा।
15. चतुर्थ श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पदों का निर्धारण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जाएगा।
16. विवाद की स्थिति में जिला दण्डाधिकारी, जिला–जशपुर छ.ग. का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

कलेक्टर

जिला जशपुर (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जशपुर जिला जशपुर (छ.ग.)

(Email- jashpur.cgfood@gmail.com,fojashpur.cg@nic.in Ph-07763-220317)

—: प्रेस विज्ञप्तिः—

क्रमांक—502/ खाद्य / स्था. / 2023 जशपुर, दिनांक— 18/ 07 / 2023

छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 13—1 / 2023 / आ.प्र. / 1—3 नवा रायपुर, दिनांक 03.05. 2023 एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.संचालनालय अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक. 3446 / स्था.—संचा / 811 / 2023 नवा रायपुर, दिनांक—19.06.2023 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यालय कलेक्टर, खाद्य शाखा, जिला जशपुर में तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड—3, चतुर्थ श्रेणी चौकीदार एवं भृत्य के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा किये जाने हेतु निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र **दिनांक 27.07.2023** तक आमंत्रित किया जाता है।

ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु जिला जशपुर के वेबसाईट **https://jashpur.nic.in/** में मेनू नोटिस (Notice) के सबमेनू भर्ती (Recruitment) में लिंक दिनांक—**27.07.2023** तक उपलब्ध रहेगी। विज्ञापन की विस्तृत विवरण जिले के वेबसाईट **https://jashpur.nic.in/** में अपलोड हैं या कार्यालयीन समय पर कार्यालय के सूचना पटल पर देखा जा सकता है।

कलेक्टर
जिला जशपुर (छ.ग.)

पृ0क्रमांक—502/A खाद्य / स्था. / 2023 जशपुर, दिनांक— 18/ 07 / 2023

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.संचालनालय नवा रायपुर की सादर सूचनार्थ।
4. संचालक, जनसंपर्क, रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं खाद्य विभाग जशपुर अंतर्गत सहायक ग्रेड—3 / चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन 2— दैनिक समाचार पत्रों में इसका संक्षिप्त प्रकाशन कर समाचार पत्र की प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु भेजने का कष्ट करें।
5. आयुक्त, सरगुजा संभाग, सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जशपुर की ओर सूचनार्थ। जिले के वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु।
7. सहायक संचालक, जनसम्पर्क जशपुर की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल में चस्पा हेतु।
8. जिला रोजगार अधिकारी, जशपुर की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल में चस्पा हेतु।

कलेक्टर
जिला जशपुर (छ.ग.)